

Form No-III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर मुकाम श्रीविजयनगर अनवान् चावली देवी बनाम रामप्यारी आदि आदि किस्म मुकदमा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53-88-92-ए-209 आरटीएक्ट वाद संख्या 46/2022

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियलस जज	हुक्म तारीख व तामिल
16.12.2024	<p>वादीया चावली देवी पत्नि श्री नन्द लाल उर्फ लालचंद पुत्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी 2 डीएम तहसील श्रीविजयनगर हल ठण्डी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि पक्षकारान में आपसी पंचायती राजीनामा होने के कारण प्रार्थी/वादी प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं कर अपने अधिकार सुरक्षित रखते हुए मौजूदा सूरत में विद्रा करना चाहती है।</p> <p>अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाकर दाखिल दफ्तर करने के आदेश दिये जाते है।</p> <p>निर्णय आदिनांक 16.12.2024 को सुनाया गया।</p>	




उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

